



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 154/01/चयन/2020

दिनांक 24/06/2021

साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु "सूचना पत्र"

सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र (उच्च शिक्षा विभाग)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र (उच्च शिक्षा विभाग) के कुल 147 विज्ञापित पद हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 05 नवम्बर 2020 एवं 06 नवम्बर 2020 को किया गया तथा परीक्षा परिणाम दिनांक 19.01.2021 को जारी किया गया है। उक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तकों व अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्धता के आधार पर कुल 357 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है। आयोग द्वारा चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 07.07.2021 से 14.07.2021 तक आयोजित किया जावेगा।

उपरोक्त पदों के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली- पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपरान्ह 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों/स्थायी जाति/निवास/आय/निःशक्तजन प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों के मूल प्रति तथा दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता/अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट:- नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हैंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हैंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

anti

परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

anti